न्यायालयः सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद।

उपस्थितः अनिल कुमार–X, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं०......84/2024

कंप्यूटर रजि०नं०..............204/2024

सरकार बनाम अमित कुमार आदि

अंतर्गत धारा–212 भा०द०सं०

थाना–मुरादनगर गाजियाबाद।

मु0 अ 0 सं0–410/2023

<u>मैमोरेण्डम</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण अमित कुमार, तथा अंकुर सिंह जिला कारागार से तथा शेष अभियुक्तगण करन उर्फ केपी, रामू उर्फ आकाश, बंटी सिंह एवं राखी सिंह जमानत पर मय अधिवक्ता उपस्थित हैं। अभियुक्त सुमित की ओर से प्रस्तुत हाजरी माफी प्रार्थना पत्र केवल आज की तिथि के लिए स्वीकृत किया जाता है।

अभियुक्त बंटी सिंह के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्क आरोप सृजित किये जाने के बिंदु पर सुने गये एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त बंटी सिंह के विरूद्ध धारा–212 भा०द०सं० के अंतर्गत आरोप विरचित किए जाने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध तद्नुसार आरोप सृजित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 30–012025 को पेश हो। अभियोजन साक्षीगण तलब हों।

(अनिल कुमार–X)

सत्र न्यायाधीश

दिनांक 21.01.2025 गाजियाबाद।

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2025.01.22 16:45:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court